

प्रेषक,
श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- (1) निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।
- (2) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 14 नवम्बर, 2014

विषय: नागर निकायों में विद्युत के दुरुपयोग पर नियंत्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-820/9-9-2011-203ज/12 दिनांक 28 जुलाई, 2014, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नागर निकायों में उ0प्र0पावर कारपोरेशन द्वारा प्रेषित विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोकते हुये यह निर्णय लिया गया था कि नागर निकायों को विद्युत विभाग द्वारा प्रेषित बिलों का शत-प्रतिशत परीक्षण सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारियों एवं उ0प्र0पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा कराया जाय तथा प्रत्येक नागर निकायों द्वारा विद्युत बिलों की प्रमाणिकता का सत्यापन प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बकाया विद्युत देयों के भुगतान के सम्बन्ध में समय समय पर की गयी समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय तथा वर्तमान में पावर कारपोरेशन की गम्भीर वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-820/9-9-2011-203ज/12 दिनांक 28.07.14 द्वारा निर्गत आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-358/9-9-2011-203ज/12 दिनांक 19 फरवरी, 2013 में दी गयी व्यवस्था अनुसार नागर निकायों के बिल सम्बन्धित निकायों के सक्षम अधिकारियों से सत्यापित कराकर संयुक्त समिति की अनुशंसा के अनुरूप विद्युत बिलों का भुगतान कराया जाना तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।


-2-

संख्या-1149 नौ-9-2014-203ज/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ)
5. वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।